भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2588

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना

2588. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने उभयलिंगी पहचान प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन की नियमित रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मासिक समीक्षा बैठकों, चिंतन शिविरों और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के माध्यम से समीक्षा की जाती है। इन बैठकों के दौरान, इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बने नियम के अनुसार प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है, जिसमें ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ (टीपीसी) और ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) जैसे सांविधिक तंत्रों की स्थापना करना और उनका नियमित तौर पर संचालन करना भी शामिल है।

(ख): पिछले पांच वर्षों में जारी किए गए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण-पत्रों की संख्या 33,303 है।

(ग): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास कार्यक्रमों का विवरण संलग्नक में दिया गया है।

(घ) और (ड.): सरकार 'आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता' (स्माइल) योजना के तहत कौशल विकास, उद्यमिता विकास और रोजगार में सहायता के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। अब तक, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) के सहयोग से तीन राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 223 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

भेदभाव रोकने के लिए, सरकार ने "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसर आदि समान रूप से उपलब्ध हो सकें।

संलग्नक

'उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन की समीक्षा करना' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2588, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

i. 'आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता' (स्माइल) नामक एक योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना' नामक एक उप-योजना भी शामिल है। इस योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई घटक शामिल हैं, जैसे कि कौशल विकास और आजीविका, व्यापक चिकित्सा स्वास्थ्य, 'गरिमा गृह' के रूप में सुरक्षित आश्रय, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल (जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं), ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान और अन्य कल्याणकारी उपाय।

ii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पीएमजेएवाई योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनएचए की आयुष्मान भारत योजना के साथ अभिसरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। इसमें लिंग परिवर्तन (जेंडर रीअसाइनमेंट) और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसी 53 हेल्थकेयर सेवाएं शामिल हैं। अब तक 147 एबी पीएमजेएवाई टीजी कार्ड जारी किए गए हैं।

iii. विभाग ने 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र (3), मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (3) और पश्चिम बंगाल (2) में निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 23 गरिमा गृह, आश्रय गृह बनाए है।

iv. पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक 33,303 आईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

v. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी करने और ऐसे अपराधों की समय पर रिपोर्ट दर्ज करने, जांच करने और मुकदमा चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस महानिदेशक के तहत राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। अब तक, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब,

राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 27 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

vi. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने, उन्हें सहायता प्रदान करने और सरकारी योजनाओं व कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुंच सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) स्थापित किए गए हैं। अब तक अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30 ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं।

vii. विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसर आदि समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है।

viii. लखनऊ के उद्यमियता विकास संस्थान के माध्यम 725 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है।

ix. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 15 दिन का राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) को सौंपा गया है। अब तक 150 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

x. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 14427 शुरू किया गया है। 2025-26 के दौरान 2374 कॉल प्राप्त हुए हैं।

xi. समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) की सहायता से तीन राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर रोजगार मेले आयोजित किए गए थे और इन रोजगार मेलों से 223 ट्रांसजेंडर व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

xii. भारतीय रिजर्व बैंक ने 24.03.2025 के अपने मास्टर परिपत्र के माध्यम से, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "प्राथमिकता क्षेत्र'' ऋण श्रेणी के "कमजोर वर्ग" उप-श्रेणी में शामिल किया है, जिससे उनके लिए स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण पाने का मार्ग खुल गया है।
